

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 20(1)साप्र / 2 / 16 पार्ट

जयपुर, दिनांक : २३।।।१

—: आदेश :—

श्री भवरलाल छोपोला, सहायक सांखिकी अधिकारी, पंचायती राज विभाग, जयपुर को उनकी एफ-श्रेणी को वरियता संख्या 270 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2020 है, के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या 4/ए/1, गांधीनगर, जयपुर के स्थान पर एफ-102 (स्वतंत्र), गांधीनगर, जयपुर का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है:-

शर्त -

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निररक्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
 5. रवयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदरस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की रिथ्ति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / अहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल रिथ्ति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदरस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदरस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
 8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

६०

परिलिपि विस्तारित का सरावार्थ परं आवश्यक कार्यादी हेतु प्रेषित है—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
 2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
 3. निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
 4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
 5. ~~प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-~~ कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
 6. अधिशार्षी अभियन्ता, राजनिविभाग स्वार्थ अभियान विभाग, जयपुर विभाग निगम लिमिटेड, गॉधीनगर, जयपुर।
 7. सहायक अभियन्ता, रार्बेजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चरणा करावें।
 8. संबंधित कर्मचारी को भेजकर लेख है कि नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावे।
 9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
 10. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव